न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

अनुभाग - सरकार बनाम रामचन्द्र

मु. सं. — 27/2020

29/10/20 प्रभारी अभिभाषक उपस्थित। प्रभारी अभिभाषक ने प्रार्थनापत्र आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा.दी. का पेश किया। प्रभारी अभिभाषक की बहस सुनी गई। प्रभारी अभिभाषक का कथन है कि अनुभागी मुकदमा में दिनांक 5.5.2016 को एक पक्षीय डिक्री पारित की गई। जिसमें तामील हेतु सम्मन जारी किये गये थे। सम्मन वापिस रूप से प्राप्त नहीं हुए थे परन्तु तामील मानते हुए प्रतिवादी/प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय डिक्री पारित की गई। विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी/प्रतिवादीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली संस्था पर 27/2009 का अवलोकन किया। अनुभाग सरकार बनाम रामचन्द्र वगैरा में प्रतिवादीगण 1. रामचन्द्र 2. मेहरचन्द 3. धूड़ाराम पुत्रगण मंगाराम है। पत्रावली में संलग्न सम्मन का अवलोकन किया है जो सभी सम्मन उनके पुत्रों ने प्राप्त किये हैं। अभिलेख दिनांक 15.5.2009 में प्रतिवादी सं. 1 व 2 की Ex Parte की गई और पत्रावली में अगामी पेशी 26.6.2009 की नियत की गई। दिनांक 29.6.2009 में प्रतिवादी सं. 2 मेहरचन्द न्यायालय में उपस्थित हुआ एवं दिनांक 5.3.2010 को अभिलेख में प्रतिवादी सं. 3 धूड़ाराम की ओर से श्री कृष्ण कुमार यादव एड. ने V.T. पेश की। प्रतिवादी सं. 2 की ओर से एक पक्षीय साक्ष्य का प्रार्थना पत्र एवं प्रतिवादी सं. 3 की ओर से बकालतनामा पेश [illegible] किये गये। इससे यह जाहिर होता है कि प्रतिवादीगण को [illegible] है।

अतः प्रार्थी [illegible] 151 जा.दी. [illegible] पत्रावली [illegible] होकर अन्तर से काम होगा वह अनावश्यक तौर पर [illegible] होगी।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:06:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner